न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 119/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
लीलसिंह पुत्र देरावरसिंह जाति राजपूत, निवासी बाडमेर गादान, तह0 व जिला बाडमेर		1. **राणामल पुत्र अचलदास** जाति ओसवाल, निवासी हमीरपुरा, बाडमेर 2. **ईश्वरसिंह पुत्र बींजराजसिंह** 3. **गिरधरसिंह पुत्र देरावरसिंह** (जातियान राजपूत, निवासीगण दीगड़ा, तह0 व जिला बाडमेर) 4. **रा0प्रा0वि0 दीगड़ा बस्ती जरिये प्रधानाध्यापक** बाडमेर गादान तह0 व जिला बाडमेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रामसर, प्रकरण संख्या 18/2016 दिनांक 14.02.2017

उपस्थित–
1. श्री एम0एल0 खत्री वकील अपीलांट
2. रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 01.04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर स्थित ग्राम बाडमेर गादान के खसरा नं0 2703/2203 रकबा 01.07 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु विप्रार्थीगण–रेस्पो0 के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2017 द्वारा तहसीलदार बाडमेर को दोनो पक्षों की उपस्थिति पक्के नेखमबंदी की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके पर नेखमबंदी की कार्यवाही मय मौका फर्द जरिये पत्र कमांक 617 दिनांक 22.2.18

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है। तदउपरांत प्रार्थी–अपीलांट ने दिनांक 16.3.18 को उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में माफिक आदेशानुसार पडौसी खातेदार गिरधरसिंह के खेत की भूमि पूरी होने के बावजूद पैमाईश में अधिक बताकर मौका फर्द तैयार करने से आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया। उक्त क्रम में तहसीलदार बाडमेर के पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 1.5.18 से प्रेषित रिपोर्ट में नेखमबंदी नियमानुसार एवं मौके पर खातेदारों की सहमति से की जाना व अब प्रार्थी द्वारा अपनी असहमति जाहिर करना बताया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने आरएलआर की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 उपरोक्त खेत खसरा के सेडा–पडौसी है। अपीलांट की खातेदारी भूमि के एक तरफ रा0उ0प्रा0वि0 स्थित है, मौके पर अपीलांट की भूमि जानबूझ कर विद्यालय में बता दी गई व उस तरफ नेखम कायम नही लगाये गये। दूसरी तरफ पडौसी खातेदार गिरधरसिंह की भूमि मौके पर पूरी होने के बावजूद भी अधिक भूमि का कब्जा करवा दिया गया, जबकि मौके पर गिरधरसिंह वगैरा अधिक भूमि पर काबिज है व राजस्व रेकर्ड में उनकी भूमि कम दर्ज है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट व फर्द गलत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश आंशिक संशोधित करने तथा अपीलांट की खातेदारी भूमि का रकबा 01.07 बीघा पूर्ण कर नेखमबंदी कराने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार बाडमेर के पत्र

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

क्रमांक 617 दिनांक 22.2.18 के संलग्न नेखमबंदी की फर्द व नक्शा प्रस्तुत किया गया। मौका फर्द के अनुसार अपीलांट के खसरे की 0.06 बीघा भूमि रा.प्रा.वि. दीगडा बस्ती गादान की चारदीवारी के भीतर पायी जाना तथा पडौसी खातेदारान के खसरा नं0 2704/2203 को बिन्दु सं0 4,5,6,7 के मध्य नक्शे में दर्शायी गई भूमि, जिसका नाप 16X75 फीट आयताकार में है, जिसे दोनो खातेदारो ने आपसी सहमति से लेना देना स्वीकार कर मौके पर उक्त खसरान की सीमा पर नक्शे के बिन्दु सं0 4, 5 के स्थान पर आपसी सहमति से दोनो खातेदारो द्वारा बिन्दु सं0 6, 7 पर अपने दोनो खसरो के मध्य नेखम कायम किए जाने का उल्लेख है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से तहसीलदार बाडमेर से रिपोर्ट प्राप्त नही की गई है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2017 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बाडमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान का सीमांकन एवं पक्की नेखमबंदी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पक्के नेखमबंदी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 01 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

01.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर